

मृत भूतपूर्व सदस्य/सदस्या का पारिवारिक पेंशन-आवेदन पत्र
बिहार विधान मंडल (सदस्यों को वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006

सेवा में,

सभापति
बिहार विधान परिषद्

विषय: बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम/नियमावली, 2006 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत मेरे पति/मेरी पत्नी स्व.....

निम्नलिखित अवधि में बिहार विधान सभा/परिषद् के सदस्य/ सदस्या रहने के कारण मैं पारिवारिक पेंशन पाने का/की हकदार हूँ :

- (I) विधान सभा की सदस्यता अवधि से तक
- (II) विधान परिषद् की सदस्यता अवधि से तक
- (III) सदस्य/सदस्या की मृत्यु दिनांक को हो गई। (मृत्यु-प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा)।
2. अनुरोध है कि मेरे पति/मेरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई की जाए। मैं पारिवारिक पेशन चाहती हूँ। कोषागार/उप कोषागार से लेना चाहता।
3. मेरी जन्मतिथि है।
4. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के किसी दण्डाधिकारी/केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ।
- (I) तीन नमूना हस्ताक्षर
- (II) पासपोर्ट साईज का तीन नवीनतम फोटो
- (III) वैधिक उत्तराधिकारी होने का जिलाधिकारी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
5. वर्तमान पता.....
- स्थायी पता

भवदीय,

मृत भूतपूर्व विधायक

के/की उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर.

नाम साफ-साफ अक्षरों में

स्थान

दिनांक

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य /सदस्या द्वारा अपने पेंशन विपत्र के साथ वर्ष में दो बार मई और नवंबर माह में कोषागार में देना होगा । पेंशन स्वीकृति के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भी जमा करना होगा ।)

मैं श्री / श्रीमती..... घोषणा
करता / करती हूँ कि :

1. मैं राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुना गया / गयी और न ही किती राज्य के राज्यपाल प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया /गयी हूँ । पूर्व में इन पदों पर नहीं था / थी।
2. मैं राज्य सभा / लोक सभा अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हूँ । पूर्व में भी इन पदों पर नहीं था / थी।
3. मुझे किसी भी अन्य श्रोत से वेतन / पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और न ही में अन्य श्रोत से वेतन/ पारिश्रमिक पाने का हकदार हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ । कार्यरत था / नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे (संस्थान का नाम) से वेतन अंके मिल रहा है।
6. मुझे (संस्थान का नाम) से अभी वेतन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके रूपया देय हैं।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। अतः इस मद में कुछ भी बकाया नहीं हैं।
8. मैंने अभी मोटर कार अग्रिम अंके रूपया लिया था शेष अंके रूपया बकाया है, जिसका समायोजन कर लिया जाय।
9. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/ पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/ किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/ मनोनीत होने पर बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूँगा/ दूँगी।

हस्ताक्षार

पेंशनधारी का नाम :

पता :

नोट : जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।